BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 446 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Anup ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. …Respondent (s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on Behalf of the Respondent No.-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	**Annexure R2/1** A true copy of an inspection report dated 20.11.2025	5-17

THROUGH

DATE: 29.11.2025

PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO- 446/ 2025

NOTARY
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No. 64(19)/2008
NOTARIAL NOTARIAL

IN THE MATTER OF:
Anup & Ors. ...**Applicant (s)**

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ...**Respondent (s)**

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD.

I, Dr. Yogender Kumar, aged about 50 years, S/o Shri Pyare Lal, presently posted as Regional Officer (Incharge), Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Bijnor, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That by mean of this present Original Application the applicants are claiming the compensation on account of the death of the 3

persons which occurred due to a massive explosion in a firecracker factory on 19.05.2024 in Jhalu village, PS Haldor, District Bijnor, Uttar Pradesh. The following 3 persons had died: - i) Chinku s/o Anup Kumar village Khari Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 1) ii) Amit s/o Kulveer Singh, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 2) iii) Rajat s/o Omprakash, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 3).

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P)
R.No -64(19) / 2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

4. That the present matter was taken up by this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) on 10.09.2025 when this Hon'ble Tribunal upon considering the matter this Hon'ble Tribunal was pleased to direct the Respondents to file their replies.

5. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Bijnor vide its letter dated 11.11.2025 has constituted the joint committee comprising (i) Sub-Divisional Magistrate, Tehsil-Sadar, District-Bijnor, (ii) Circle Officer (Police), Sadar, Bijnor, (iii) Chief Fire Officer, Bijnor, (iv) Assistant Labour Commissioner (Labour Department), Bijnor, (v) Regional Officer, UPPCB, Bijnor. Further, the constituted joint committee has undertaken the site visit and carried out an inspection on 20.11.2025 in presence of the Respondent No.-4, i.e. Ambar Abbas.

A true copy of an inspection report dated 20.11.2025 along with its respective annexure is being annexed herewith and marked as **Annexure R2/1**.

6. That during the course of an inspection the firecracker factory in question, run by Respondent No.-4 and 5 was found closed and not any plant machinery was found established in the said firecracker factory. During inspection it is informed by the representative that the firecracker factory has a license bearing number-118/2011, valid till 31.03.2028. In support of his statement regarding license the Respondent No.-4, i.e. Ambar Abbas, has produced a notarized affidavit dated 21.11.2025 before the joint committee.

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No.-64(19)/2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

7. That the joint committee in its report has also calculated and recommended to give compensation amount to the family of the deceased in accordance to the salary and age of the deceased persons and sent a notice to the employers for make payment of the same.

8. That further it is also necessary to point out here that regarding the said accident a Case Crime No.-136/2024, under Section-304/336 IPC and Section-9(b) Explosive Act has been registered and the same is pending before the Sessions Judge, Bijnor at Session Trial No.-1736/2024.

9. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution control Board, is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

NOTARY
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No.-64(19)/2008

Verified at Bijnor on this the 29 day of November, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Sworn before me on this 29 day of the Nov. 2025
by Dr. Yogendra Kumar Sthavi Asthana
who has been identified by
who is personally known to me
whose signature (S) is/are here it appended.
29/11/25
Gajendra Pal Singh
NOTARY,
BIJNOR-246701 (U.P.)

Annexure R2/1

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–446/2025 (IA No.-586/2025), Anup & Ors. Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक–10.09.2025 के अनुपालन के संबंध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–446/2025 (IA No.-586/2025), Anup & Ors. Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक–10.09.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"1. In this original application, the applicants are claiming the compensation on account of the death of the 3 persons which occurred due to a massive explosion in a firecracker factory on 19.05.2024 in Jhalu village, PS Haldor, District Bijnor, Uttar Pradesh. The applicants alleges that the Respondent No. 4 and 5 were running the firecracker manufacturing unit where the massive explosion took place and following 3 persons had died: -

i) Chinku s/o Anup Kumar village Khari Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 1)

ii) Amit s/o Kulveer Singh, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 2)

iii) Rajat s/o Omprakash, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 3)

……….3. Issue notice to the Respondents. Ms. Priyanka Swami, Advocate accepts notice on behalf of Respondent No. 1 and 3 and seeks four weeks' time to file the reply by way of affidavit. The applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. List on 01.12.2025.

उक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर के पत्र संख्या–1044/एन–71/जनरल–2025, दिनांक–11.11.2025 के द्वारा प्रकरण में संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की टीम का गठन किया गया, (जिसकी प्रति संलग्न है **संलग्नक–01**), जो कि निम्नवत् है :–

1–उप जिलाधिकारी, तहसील–सदर, जनपद–बिजनौर।
2–क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद–बिजनौर।
3–मुख्य अग्नि शमन अधिकरी, बिजनौर।
4–सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।
5–क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण में जांच/निरीक्षण दिनांक–20.11.2025 को संयुक्त रूप से किया गया। समिति की संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

K.K. Gupta A.L.C.   [signature] FSO   M Husain AEE   [signature] SDM

पटाखा फैक्ट्री स्थल झालू–गंगोड़ा जट रोड, खसरा संख्या–252ख, रकबा–0.0950 हैक्टेयर ग्राम–हसनपुर काजी, तहसील व जिला–बिजनौर की स्थलीय जॉच की गयी। मौके पर फैक्ट्री बंद पायी गयी तथा इकाई में किसी भी प्रकार की प्लांट मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी एवं किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। स्थलीय जाँच के समय पटाखा फैक्ट्री के स्वामी श्री अम्बर अब्बास पुत्र श्री नय्यर काजिम, निवासी मौहल्ला–51/13, रसूलदारान, कस्बा–नहटौर, थाना–नहटौर, तहसील–धामपुर, जिला–बिजनौर उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि श्री अम्बर अब्बास द्वारा नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक–21.11.2025 प्रेषित किया गया है। उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित है कि इकाई को आतिशबाजी विनिर्माण लाइसेंस नं0–118/2011 (प्रारूप–20) निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक–31.03.2028 तक है, (जिसकी प्रति संलग्न है **संलग्नक–02**) इकाई का संचालन माह फरवरी, 2024 से प्रारम्भ किया गया। इकाई में दिनांक–19.05.2024 को दुर्घटना के बाद से वहा कोई किसी भी तरह का विनिर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–03)**।

उक्त पटाखा फैक्ट्री में दिनांक–19.05.2024 को आग लगने एवं तीव्र विस्फोट होने से 03 श्रमिक की मृत्यु हो गयी थी। उक्त मृतक श्रमिक एवं उनके आश्रितगणों का नाम, पता एवं निर्धारित कर्मकार प्रतिकर की देय योग्य धनराशि का विवरण निम्नवत है:–

कम संख्या	मृतक का नाम, पता, उम्र एवं वेतन	आश्रितगण का नाम	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि
01	चिंकू पुत्र श्री अनूप कुमार, निवासी ग्राम–खारी, पोस्ट–खारी (झालू), थाना–हल्दौर, तहसील एवं जिला–बिजनौर पिन–246728 उम्र–जन्म तिथि 08.05.2005 से घटना की तिथि 19.05.2024 को आयु–19 वर्ष वेतन–10648/– प्रतिमाह 03 माह से कार्यरत बताया गया।	1–श्री अनूप पुत्र श्री हरपाल सिंह (पिता) 2–श्रीमती रूपा देवी पत्नी अनूप (माता)	$\frac{226.38 \times 10648}{2}$ = **रू0–12,05,247.12/-**
02	अमित पुत्र श्री कुलवीर सिंह निवासी ग्राम–गोपालपुर, पोस्ट–खारी (झालू), थाना एवं तहसील एवं जिला बिजनौर। पिन–246728 उम्र–जन्मतिथि–02.04.1997 से 19.05.2024 को आयु– 27 वर्ष वेतन–10648/– प्रतिमाह	1–श्रीमती आदेश देवी पत्नी कुलवीर सिंह (माता) 2–श्री कुलवीर सिंह पुत्र स्व0 थानो सिंह (पिता)	$\frac{213.57 \times 10648}{2}$ = **रू0–11,37,046.68 /-**

(KH) Gupta A.L.C.   [signature] PSO   2   [signature] AEE   [signature] SDM

03	रजत कुमार रवि पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम–गोपालपुर, पोस्ट–खारी (झालू), थाना व तहसील एवं जिला बिजनौर, पिन–246728 उम्र–जन्मतिथि–10–02–1999 से 19.05.2024 को आयु– 25 वर्ष वेतन–10648 / – प्रतिमाह	1–श्रीमती अर्चना पत्नी स्व0 रजत कुमार रवि (पत्नी) 2–श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भरता (पिता)	$\frac{216.91 \times 10648}{2}$ रू0–11,54,828.84 / –

उपरोक्त धनराशि आश्रितगणों को देने के लिए सेवायोजक को पत्र संख्या–2265 / बिज0–25, दिनांक–21.11.2025 के द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, (जिसकी प्रति संलग्न है **संलग्नक–04**)।

उक्त इकाई में दिनांक–19.05.2024 को अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होने पर फायर सर्विस यूनिट, बिजनौर मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू करते हुये पूर्णरूप से बुझाया गया।

उक्त प्रकरण न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बिजनौर सत्र परीक्षण संख्या–1736 / 2024 मुकदमा अपराध संख्या–136 / 2024 धारा–304, 336 आई0पी0सी0 व 9(ख) विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1–शानू उर्फ ताजुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मौ0–तीरगारान थाना–नहटौर, जनपद–बिजनौर, 2–अम्बर अब्बास पुत्र नय्यर काजिम निवासी मौ0–रसूलदारान कस्बा थाना–नहटौर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध विचाराधीन है। प्रकरण में अग्रिम तिथि 10.12.2025 है (जिसकी प्रति संलग्न है **संलग्नक–05**)।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

कम सं0	**नाम**	**पद नाम**	**हस्ताक्षर**
1	श्रीमती रीतू रानी	उप जिलाधिकारी, तहसील–सदर, जनपद–बिजनौर।	(signature)
2	श्री संग्राम सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद–बिजनौर।	(signature)
3	श्री शीशपाल सिंह	अग्नि शमन अधिकरी, बिजनौर।	(signature)
4	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।	KK Gupta
5	श्री माहिर हुसैन	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।	M Husain

पटाखा फैक्ट्री, झालू–गंगोड़ा जट रोड, ग्राम–हसनपुर काजी, तहसील व जिला–बिजनौर के निरीक्षण दिनांक–20.11.2025 को खीचें गये फोटोग्राफ्स।

–:कार्यालय आदेश:–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No.- 446/2025 (I.A. No. 586/2025), Anup & Ors. में पारित आदेश दिनांक–10.09.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"1. In this original application, the applicants are claiming the compensation on account of the death of the 3 persons which occurred due to a massive explosion in a firecracker factory on 19.05.2024 in Jhalu village, PS Haldor, District Bijnor, Uttar Pradesh. The applicants alleges that the Respondent No. 4 and 5 were running the firecracker manufacturing unit where the massive explosion took place and following 3 persons had died: -

i) Chinku s/o Anup Kumar village Khari Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 1)
ii) Amit s/o Kulveer Singh, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 2)
iii) Rajat s/o Omprakash, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 3)

.....3. Issue notice to the Respondents. Ms. Priyanka Swami, Advocate accepts notice on behalf of Respondent No. 1 and 3 and seeks four weeks' time to file the reply by way of affidavit. The applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. List on 01.12.2025.

अतः प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की समिति गठित करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर आख्या अगली नियत सुनवाई के दृष्टिगत संयुक्त जांच/कार्यवाही सम्बन्धी आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या/reply मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय दाखिल करायी जा सकें।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–सदर, जनपद–बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद–बिजनौर।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, बिजनौर।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक–1044/N-71/जनरल-2025 दिनांक–11-11-2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–सदर, जनपद–बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद–बिजनौर।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, बिजनौर।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
बिजनौर

Form -20

(See Rule – 155) Article 1 (A) - (D) of Schedule IV)
License to Manufacture , Explosives) Fire Works License for Manufa
Storage , Sale , & Transportation

License No:- 118/2011

Fee Rs:- 20/ (Per Year)

Licensed is here by granted to Mr. अम्मार अब्बास पुत्र श्री नरयार काजिम निवासी मौ० खुशालदारान नहटौर P.S. नहटौर जिला बिजनौर
Valid only for the manufacturing of (150) ...kg at any one time per year at the premises described below subject to the provision of Explosive act, 1884 as amended from time to time and the rules, framed there under and to the conditions of this License.

This License shall remain valid till 31st day of March 2012

This License is label to be suspended or revoked for any violation of the act or rules, framed there under or the condition of this License or if the Licensed premises are not found confirming to the description shown in the attach plans and Annexure.

Description of the Licensed Premises:-

The Licensed Premises shown in plan attach here to situated at ग्राम नहटौर खसरा 542 (खाता सं० 86) क्षे० 0.093 हे०. District :- BIJNOR, and consist of postal Address of the License .... (BIJNOR) U.P.

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 8.06.2023 के अन्तर्गत आवेदक अम्मार अब्बास S/o श्री नरयार काजिम निवासी 61/13 खुशालदारान PS नहटौर के आतिशबाजी लाइसेंस नं० 118/2011 के स्थान बीस (20) पर निम्न स्थान ग्राम ... तह० व जिला बिजनौर के निम्न चौहद्दी के अनुसार पूर्व में खेत ... पश्चिम में बाग ..., उत्तर ... तथा जो अनुज्ञप्ति में रास्ता परिवर्तित किया जाता।

SEAL

The 25/1/2011 D.M के आदेश ... /2023 DISTRICT MAGISTRATE

31-11-2019 19-05-2011 को जारी BIJNOR

ENDORSMENT FOR RENEWAL OF LICENSE

DATE OF RENEWAL	DATE OF EXPIRY	SIGNATURE OF LICENCING AUTHORITY
19.5.2011	31-3-2012	जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के
31-3-14	31-3-2014	आदेश दिनांक 25-1-2011 के
	31-3-2015	अन्तर्गत आतिशबाजी विनिर्माण
	31-3-2016	एवं विक्रय हेतु लाइसेन्स निर्गत
Renewed up to 31-3-2015	31-3-2019	किया गया।
	31-3-2028	
O.C. (Arm's) BIJNOR 3-7-2014	Renewed up to 31-3-2016	19-5-2011
	O.C. (Arm's) BIJNOR	

ANKITA
LF-012

291 R 1-11-25

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP56015591045282X

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP56015591045282X
Certificate Issued Date	:	21-Nov-2025 02:20 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14380304/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14380304088314709958 49X
Purchased by	:	AMBAR ABBAS SO NAYYAR KAZIM
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AMBAR ABBAS SO NAYYAR KAZIM
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	AMBAR ABBAS SO NAYYAR KAZIM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY Advocate, Notary Mahesh Chandra Regd. No. 1995/2020 BIJNOR (U.P.) GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

AMIT KUMAR AGARWAL BIJNOR (U.P.) ACC Code-14380304

IN-UP56015591045282X

Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्ष- 1-उपजिलाधिकारी , तहसील-सदर, जनपद बिजनौर।

2-क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस) सदर, जनपद बिजनौर।

3-मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, बिजनौर।

4-सहाय श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।

5-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , बिजनौर।

शपथपत्र मिनजानिब — अम्बर अब्बास पुत्र श्री नय्यर काजिम निवासी मौहल्ला 51/13 रसूलपुरान कस्बा नहटौर तहसील धामपुर जिला बिजनौर।

शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न बयान करता है कि —

1- यह कि मेरा उपरोक्त लिखा नाम व पता सही हैं।

2- यह कि शपथकर्ता का आतिशबाजी विनिर्माण लाईसेन्स नं0-118/2011 (प्रारूप-20) है जो दिनांक 31.03.2028 तक वैध हैं। (छायाप्रति संलग्न है)

.....2....

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

-2-

3- यह कि शपथकर्ता का आतिशबाजी विनिर्माण लाईसेंस स्थल झालू से गंगोड़ा रोड खाता सं0- 00146, खसरा नं0- 252 ख, रकबा-0.0950 है0 ग्राम हसनपुर काजी परगना दारानगर तहसील व जनपद बिजनौर में है।

4- यह कि शपथकर्ता माह फरवरी 2024 से मानको का पालन करते हुऐ अग्निशमन यन्त्र एंव पानी के भण्डारण की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे थे।

5-यह कि दिनांक 19.05.2024 को घटना के समय मैं घटना स्थल पर उपस्थित नही था मुझे नही पता हैं कि वहा किस तरह से दुर्घटना घटी।

6-यह कि दिनांक 19.05.2024 की दुर्घटना के बाद से वहां कोई किसी भी तरह का विनिर्माण कार्य नही किया जा रहा है।

7-यह कि उक्त घटना का एक केस न्यायालय अपर जिला जज (पोक्सो एक्ट) बिजनौर सत्र परिक्षण सं0- 1736/2024 मु0अ0स0- 136/2024 सरकार बनाम शानू उर्फ ताजुद्दीन आदि धारा 304,336 आई0पी0सी0 व 9बी विस्फोटक अधि0 थाना हल्दौर विचाराधीन हैं। (आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

8-यह कि शानू उर्फ ताजुद्दीन पुत्र श्री रियाजुद्दीन वहां मजदूरो से काम कराता था।

9-यह कि शपथ पत्र का पैरा नं0 01 ता 08 मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही हैं कुछ छिपाया नही गया हैं खुदा मेरी मदद करे।

Ambar Abbas

ग0श0 | शपथकर्ता के हस्ताक्षर

NOTARY
Advocate, Notary
Mahesh Chandra
Reg.No. 7965/2020
BIJNOR (U.P.)
GOVT. OF INDIA

21/11/25
Ambar Abbas
who has been identified by
who is personally known to me
whose signature(s) ... hereon ... appended

Mahesh Chandra Advocate
Notary, Bijnor (U.P.)

Form -20

(See Rule – 155) Article 1 (A) - (D) of Schedule IV)
(License to Manufacture , Explosives) Fire Works License for Manufa
Storage , Sale , & Transportation

License No:- 118/2011 **Fee Rs:- 20/ (Per Year)**

Licensed is here by granted to Mr. अम्मार अब्बास पुत्र श्री नय्यर काज़िम
निवासी ग्राम खुशालपुर/इरसालपुरान नहटौर P.S. नहटौर जिला बिजनौर
Valid only for the manufacturing of (50) ...kg at any one time per year at the premises described below subject to the provision of Explosive act, 1884 as amended from time to time and the rules, framed there under and to the conditions of this License.

This License shall remain valid till 31st day of March ..2012.

This License is label to be suspended or revoked for any violation of the act or rules, framed there under or the condition of this License or if the Licensed premises are not found confirming to the description shown in the attach plans and Annexure.

Description of the Licensed Premises :-

The Licensed Premises shown in plan attach here to situated at (ग्राम हसनपुर नहटौर खसरा नं० 867 क्षे० 0.013 हे०). District :- BIJNOR, and consist of postal Address of the License .... (BIJNOR) U.P.

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 8.06.2023 के अन्तर्गत आवेदक अम्मार अब्बास S/o श्री नय्यर काज़िम निवासी ग्राम इरसालपुरान PS नहटौर के आतिशबाजी लाइसेंस सं० 118/2011 के फार्म बीस (20) पर निम्न प्रकार ग्राम हसनपुर धनी, परगना बरकातपुर तह० व जिला बिजनौर में निम्न चौहद्दी के अनुसार पूर्व में खेत मोबीनुद्दीन, पश्चिम में बाग हलीमुद्दीन, उत्तर में बाग व दक्षिण में रास्ता परिवर्तित किया गया।

SEAL

The ...25/1/2011......D.M के आदेश 8/6/2023 DISTRICT MAGISTRATE

31-12-2017 ...19-05-2011 को जारी BIJNOR

Renewed up to ......

O.C. Arms Magistrate BIJNOR

ENDORSMENT FOR RENEWAL OF LICENSE

DATE OF RENEWAL	DATE OF EXPIRY	SIGNATURE OF LICENCING AUTHORITY
19.5.2011	31-3-2012	जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेश दिनांक 25-1-2011 के अन्तर्गत आतिशबाजी विनिर्माण एवं विक्रय हेतु लाइसेन्स निर्गत किया गया।
31-3-14	31-3-2014	
	31-3-2015	
	31-3-2016	
Renewed up to 31-3-2015	31-3-2019	
O.C. (Arms) BIJNOR 3-7-2014	31-3-2028	
	Renewed up to 31-3-2016 O.C. (Arm's) BIJNOR	19-5-2011

ANKITA
LF-012

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर
सत्र परीक्षण संख्या:-1736 / 2024
मुकदमा अपराध संख्या–136 / 2024
सरकार बनाम शानू उर्फ ताजुद्दीन व अन्य

आरोप

मैं, एम0पी0 सिंह, सत्र न्यायाधीश, बिजनौर आप **शानू उर्फ ताजुद्दीन** व **अम्बर अब्बास** पर निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ:–

1– यह कि दिनांक 19–05–2024 को समय लगभग 08:00 बजे, बहद स्थान पटाखा फैक्ट्री झालू से गंगोड़ा जट जाने वाले रास्ते पर, अन्तर्गत क्षेत्र थाना हल्दौर, जिला बिजनौर मे आपके द्वारा अपनी पटाखा आपकी फैक्ट्री में आवश्यक आग बुझाने के उपकरण स्थापित नही किये व बहुत अधिक मात्रा में पटाखा व बारूद एक साथ इकट्ठा रखा गया, जिस कारण आपकी पटाखा फैक्ट्री मे विस्फोट होने से वादी के भाई अमित की मौके पर अन्य चिंकू व रजत की दौराने इलाज मृत्यु हो गयी। आपका उक्त कृत्य हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 304** के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा अपनी पटाखा फैक्ट्री में आवश्यक आग बुझाने के उपकरण स्थापित नहीं किये व बहुत अधिक मात्रा में पटाखा व बारूद एक साथ इकट्ठा रखा गया। इस प्रकार आपकी लापरवाही के कारण पटाखा फैक्ट्री मे विस्फोट होने से मानव जीवन संकटापन्न हो गया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 336** के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपके द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक पदार्थ का विनिर्माण किया गया तथा फैक्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में पटाखा व बारूद एक साथ इकट्ठा रखा गया। इस प्रकार आपने विस्फोटक अधिनियम की धारा 9ख के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक:–19.12.2024

(एम0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक:–19.12.2024

(एम0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

Compared

प्रवाचक
अपर जिला जज (पॉक्सो एक्ट)
बिजनौर

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग
जिला जजी, बिजनौर
11/11/25

रजिस्टर्ड

पत्रांक —2265. /बिज0-25 दिनांक- 21-11-2025

आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर एवं सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर।

(कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10-ए के अंतर्गत नोटिस)

श्री अम्बर अब्बास पुत्र श्री नैयर काजिम
निवासी 51/13 रसूलदारान, पो0 व थाना नहटौर
तहसील धामपुर, जिला बिजनौर।

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी पटाखा फैक्ट्री गंगोड़ा जट झालू जिला बिजनौर में दिनांक 19.05.2024 को हुए तीव्र विस्फोट में निम्न 03 श्रमिकगणों की मृत्यु हुई है, किन्तु आप द्वारा मृतक श्रमिकगणों के आश्रितगणों को प्रतिकर धनराशि भुगतान हेतु इस न्यायालय में जमा नहीं की गयी है जो निम्नवत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नवत प्रतिकर धनराशि मृतक आश्रितों को भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर/सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर के पद नाम से एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि वसूली हेतु वसूलयावी कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

KK Gupta

(के0 के0 गुप्ता)
आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर एवं
सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर।

भारतीय डाक
India Post

Avas Vikas Bijnor [illegible]
[illegible], IVR [illegible]
22/11/2025 11:07:15, [illegible] 1,
To: AMBAR ABBAS
RASULDARAN, BIJNOR, 2467[illegible]
From: CO SAHAYAK SHRAMAYUKT
NEAR SBI [illegible], BIJNOR, 246701
Base Amt: 47.00, CGST:4.00, SGST:4.00
To: AMBAR ABBAS
P.Mode: Cash, Prepaid: 55 (P3)
POD:No, www.indiapost.gov.in

श्रम विभाग

आज दिनांक 20.11.2025 को जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम द्वारा पटाखा फैक्ट्री स्थल गंगोड़ा जाट, पोस्ट झालू, थाना हल्दौर , जिला बिजनौर की स्थलीय जाँच की गयी। मौके पर फैक्ट्री बंद पायी गयी एवं किसी भी प्रकार का कार्य होता नहीं पाया गया। स्थलीय जाँच के समय पटाखा फैक्ट्री के स्वामी श्री अंबर अब्बास पुत्र श्री नैयर काजिम मोहल्ला 51/13 रसूलदारान, कस्बा नहटौर, पो0 थाना नहटौर तह0 धामपुर, जिला बिजनौर उपस्थित मिले। उक्त पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 19.05.2024 को हुए तीव्र विस्फोट में 03 श्रमिक की मृत्यु हो गयी थी।

उक्त मृतक श्रमिक एवं उनके आश्रितगणों का नाम, पता एवं निर्धारित कर्मकार प्रतिकर की देय योग्य धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	मृतक का नाम,पता, उम्र एवं वेतन	आश्रितगण का नाम	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत देय योग्य धनराशि
01	चिंकू पुत्र श्री अनूप कुमार निवासी ग्राम खारी, पोस्ट खारी (झालू), थाना हल्दौर, तह0 एवं जिला बिजनौर पिन-246728 उम्र- जन्म तिथि 08.05.2005 से घटना की तिथि 19/05/2024 को आयु- 19 वर्ष वेतन- 10648/- प्रतिमाह 03 माह से कार्यरत बताया गया।	1 – श्री अनूप पुत्र श्री हरपाल सिंह (पिता) 2- श्रीमती रूपा देवी पत्नी अनूप (माता)	$\frac{10648 \times 226.38}{2}$ = **12,05,247.12** (बारह लाख पाँच हजार दो सौ सैंतालिस रूपये)
02	अमित पुत्र श्री कुलवीर सिंह निवासी ग्राम गोपलपुर, पो0 खारी (झालू), थाना एवं तहसील एवं जिला बिजनौर । पिन- 246728 उम्र- जन्मतिथि- 02/04/1997 से 19/05/2024 को आयु- 27 वर्ष वेतन- 10648	1 – श्रीमती आदेश देवी पत्नी कुलवीर सिंह (माता) 2- श्री कुलवीर सिंह पुत्र स्व0 थानो सिंह (पिता)	$\frac{10648 \times 213.57}{2}$ = **11,37,046.68** (ग्यारह लाख सैंतीस हजार छियालिस रूपये)
03	रजत कुमार रवि पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम गोपालपुर, पो0 खारी (झालू), थाना व तहसील एवं जिला बिजनौर, पिन- 246728 उम्र- जन्मतिथि- 10-02-1999 से 19/05/2024 को आयु- 25 वर्ष वेतन- 10648	1 –श्रीमती अर्चना पत्नी स्व0 रजत कुमार रवि (पत्नी) 2- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भरता (पिता)	$\frac{10648 \times 216.91}{2}$ = **11,54,828.84** (ग्यारह लाख चौवन हजार आठ सौ अट्ठाईस)

उपरोक्त धनराशि आश्रितगणों को देने के लिए सेवायोजक को नोटिस प्रेषित किये जा रहे हैं।

KK Gupta

(के0 के0 गुप्ता)
सहायक श्रमायुक्त,
बिजनौर।

जिला अदालत बिजनौर
District Court Bijnor
e-Courts Mission Mode Project

Case Status : Search by Petitioner/Respondent

Case Number | FIR Number | Party Name | Advocate Name
Case Code | Act | Case Type

Back

District and Session Judge

In The Court Of : Additional District and Session Judge/POCSO

CNR Number : UPBJ010098582024

Case Number : Sessions Case/0001736/2024

Date : 21-11-2025

State Government **Versus** Shanu urf Tajuddin others

Daily Status

Business	Next Purpose	Next Hearing Date
--	Remaining Evedence	10-12-2025

Print

Back